

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर कार्यालय आदेश

इस कार्यालय आदेश क्रमांक: शिविरा/मा./संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/2019 दिनांक 04.03.2019 द्वारा श्री नाहर सिंह, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-प्रथम (समकक्ष प्रधानाचार्य उमावि) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा पौख, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं किया गया था।

श्रीमान निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/संस्था-राप/याचिका सं-13138/2017 नाहर सिंह/2017 दिनांक 15.09.2017 की अनुपालना में नाहर सिंह, तत्समय बीईईओ को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 13138/2017 नाहर सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य प्रकरण में स्थगन प्राप्त होने, प्रकरण के माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने तथा एसीबीईओ-प्रथम, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं के पद पर श्री रोहिताश्व कुमार (सहायक परियोजना समन्वयक, समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि, समग्र शिक्षा अभियान, सीकर) को पदस्थापित कर दिये जाने के कारण उक्त कार्यालय में एसीबीईओ-प्रथम पद पर दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उक्त दोहरे पदस्थापन की स्थिति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए श्री रोहिताश्व कुमार, एसीबीईओ-प्रथम (समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि) कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं का अन्तरिम समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा पौख, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है। श्री नाहर सिंह, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (एसीबीईओ-प्रथम) समकक्ष प्रधानाचार्य-उमावि, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णयाधीन कार्यरत रहेंगे।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 31.05.2019

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/13138/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु संभाग, चूरु।
4. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री रोहिताश्व कुमार को तत्काल कार्यमुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करावें।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) झुन्झुनूं।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (विधि) जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)